

23/6/18

सब को ही। उनके अपने जजिब।
सब 0. न. विश्वेश्वर शर्मा
पत्र से पत्रको जतिम कार्यकारी हेतु
दिनांक 23/7/18 में भेज करें।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुलाबपुरा

E/6/2018

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट
दुरा पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
चुकि: अराजीमुतदाकिया के डारिदारान के द्वारा
आपसी सहमती से तहसीलदार दुरडा से उनके
प्रकरण सं०- 35 दिनांक 18/6/2018 से भूमि
का विभाजन करवा लिये जाने से इस प्रकरण
में वादी का के द्वारा वादा गया अनुतोष समाप्त
हो जाता है। तदनुसार इस प्रकरण की कार्यवाही
इस स्टेज पर बन्द को जाकर पत्रावली शुमार
कर कर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज
दिनांक 18/6/2018 को डुली लोक अदालत कैम्प
कोर्ट दुरडा पर सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-शीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official